


कार्यक्रम हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट अमीन खां बनाम तहसीलदार 2020/00057	नम्बर व तारीख अहकान जो इस हुक्म की जारी किये गये
	<p style="text-align: center;"><b>पीठासीन अधिकारी</b> <b>श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.</b></p> <p>उपस्थिति - श्री श्यामनिरंजन बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी श्री घासीराम कड़वा राजपैरोकार (तहसीलदार परबतसर)</p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b></p> <p style="text-align: right;">दिनांक :- 22/7/24</p> <p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भकरी मौलास के खसरा नम्बर 1000/2 रकबा 0.7284 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 659/14 मीन है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, नये सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा नया नक्शा ट्रेस तैयार किया है उसमें प्रार्थी की भूमि के खसरा नम्बर 1000/2 अंकित किये है तथा उस भूमि का मौजूदा स्थान की बजाय नक्शा ट्रेस में उत्तर दिशा में अंकित कर दिया है वर्तमान नक्शे में पश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 1002 की भूमि लगती है, तथा मौके की स्थिति भी पुराने नक्शे के अनुसार सही है इससे स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों की गलती से नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा नम्बर 1000/2 की भूमि अपने स्थान की बजाय उत्तर दिशा में गलत अंकित कर दिया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम भकरी मौलास के खसरा नम्बर 1000/2 रकबा 0.7284 हैक्टर भूमि जिसके नये नक्शा ट्रेस में संशोधन कर पुराने नक्शे में अंकित स्थान पर ही दर्शित किये जाने की इस्तदुआ की है।</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 1000/2 के पश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 1003 है जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही है प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1000/2 मौजूदा स्थान और नक्शा ट्रेस में सही अंकित है सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा कोई त्रुटि नहीं है</p>	



**उपखण्ड अधिकारी**  
**परबतसर (नागौर)**

खसरा नम्बर 1000/ की तरमीम को परिवर्तन किया जाना रिकार्ड तथा मौके के अनुसार उचित नहीं है क्योंकि मौके व नक्शा अपनी अपनी जगह सही है।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्बत 2073-76 की प्रति पेश की है जिसके अनुसार ग्राम भकरी मौलास के खसरा नम्बर 1000/2 रकबा 0.7284 हैक्टर भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त खातेदारी सुदा भूमि के नक्शा ट्रेस में गत सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिको द्वारा परिवर्तन किया जाना बताया है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है प्रतिवादी राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर ने अपने जबाब में स्पष्ट रूप से बताया है कि गत खसरा नम्बर 659/14 के वर्तमान खसरा नम्बर 1000/2 के नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है मौके एवं पूर्व नक्शा ट्रेस में हो रखी तरमीम के अनुसार ही वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम है जिससे नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजपैरोकार तहसीलदार के जबाब के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथन उचित प्रतीत नहीं होते हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है। नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रतिपादित नियमों में नहीं आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)

उपखण्ड अधिवक्ता  
परबतसर (जागौर)